

**कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा**  
**सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़**  
**:: आदेश ::**

अम्बिकापुर, दिनांक 05 / 09 / 2024

क्रमांक / 2614 / निलंबन / शिकायत / सं.संचा / 2024 :: कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर के पत्र क्रमांक / 6764 / निरीक्षण / शिकायत / 2024 सूरजपुर, दिनांक 05.09.2024 के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सूरजपुर के द्वारा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गणेशपुर विकासखण्ड सूरजपुर जिला-सूरजपुर के औचक निरीक्षण दिनांक 05.09.2024 को समय दोपहर 01:20 बजे विद्यालय में ताला लगा पाया गया जिसमें श्री सुरेश कुमार सारथी प्रधान पाठक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गणेशपुर विकासखण्ड सूरजपुर जिला-सूरजपुर के द्वारा बिना किसी सूचना एवं अवकाश स्वीकृति के विद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए है। आपका उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम 3 1 (एक) (दो) (तीन) एवं नियम 07 के विपरीत पाए जाने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया जाता है।

श्री सुरेश कुमार सारथी प्रधान पाठक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गणेशपुर विकासखण्ड सूरजपुर जिला-सूरजपुर को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रामानुजनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ नियत किया जाता है।



संयुक्त संचालक  
शिक्षा सरगुजा सरगुजा  
अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक / 2615 / निलंबन / शिकायत / सं.संचा / 2024  
प्रतिलिपि :-

अम्बिकापुर, दिनांक 05 / 09 / 2024

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ को सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सूरजपुर/रामानुजनगर जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रधान पाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गणेशपुर विकासखण्ड सूरजपुर जिला-सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संबंधित श्री सुरेश कुमार सारथी, प्रधान पाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गणेशपुर विकासखण्ड सूरजपुर जिला-सूरजपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. स्थापना खण्ड-02 प्रभारी कार्यालयीन की ओर सूचनार्थ।



संयुक्त संचालक  
शिक्षा सरगुजा सरगुजा  
अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़

कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा  
सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़

:: आदेश ::

अम्बिकापुर, दिनांक 05/09/2024  
क्रमांक/2610 /निलंबन/शिकायत/सं.संचा/2024 :: कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर के पत्र क्रमांक/6764/निरीक्षण /शिकायत/2024 सूरजपुर, दिनांक 05.09.2024 के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सूरजपुर के द्वारा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गणेशपुर विकासखण्ड सूरजपुर जिला-सूरजपुर के औचक निरीक्षण दिनांक 05.09.2024 को समय दोपहर 01:20 बजे विद्यालय में ताला लगा पाया गया जिसमें श्री आलोक तिग्गा शिक्षक (एल.बी.) शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गणेशपुर विकासखण्ड सूरजपुर जिला-सूरजपुर के द्वारा बिना किसी सूचना एवं अवकाश स्वीकृति के विद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए है। आपका उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम 3 1 (एक) (दो) (तीन) एवं नियम 07 के विपरीत पाए जाने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया जाता है।

श्री आलोक तिग्गा शिक्षक (एल.बी.) शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गणेशपुर विकासखण्ड सूरजपुर जिला-सूरजपुर को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रामानुजनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ नियत किया जाता है।



संयुक्त संचालक

शिक्षा सरगुजा सरगुजा  
अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक/2611 /निलंबन/शिकायत /सं.संचा/2024  
प्रतिलिपि :-

अम्बिकापुर, दिनांक 05/09/2024

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ को सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सूरजपुर/रामानुजनगर जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रधान पाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गणेशपुर विकासखण्ड सूरजपुर जिला-सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संबंधित श्री आलोक तिग्गा, शिक्षक (एल.बी.), शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गणेशपुर विकासखण्ड सूरजपुर जिला-सूरजपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. स्थापना खण्ड-02 प्रभारी कार्यालयीन की ओर सूचनार्थ।



संयुक्त संचालक

शिक्षा सरगुजा सरगुजा  
अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़



कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा  
सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़

:: आदेश ::

अम्बिकापुर, दिनांक 05/09/2024

क्रमांक/ 2612 /निलंबन/शिकायत/सं.संचा/2024 :: कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर के पत्र क्रमांक/6764/निरीक्षण /शिकायत/2024 सूरजपुर, दिनांक 05.09.2024 के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सूरजपुर के द्वारा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गणेशपुर विकासखण्ड सूरजपुर जिला-सूरजपुर के औचक निरीक्षण दिनांक 05.09.2024 को समय दोपहर 01:20 बजे विद्यालय में ताला लगा पाया गया जिसमें श्रीमती दीपमाला पन्ना शिक्षिका (एल.बी.) शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गणेशपुर विकासखण्ड सूरजपुर जिला-सूरजपुर के द्वारा बिना किसी सूचना एवं अवकाश स्वीकृति के विद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए है। आपका उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम 3 1 (एक) (दो) (तीन) एवं नियम 07 के विपरीत पाए जाने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया जाता है।

श्रीमती दीपमाला पन्ना शिक्षिका (एल.बी.) शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गणेशपुर विकासखण्ड सूरजपुर जिला-सूरजपुर को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रामानुजनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ नियत किया जाता है।

संयुक्त संचालक

शिक्षा सरगुजा सरगुजा  
अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक/ 2613 /निलंबन/शिकायत /सं.संचा/2024  
प्रतिलिपि :-

अम्बिकापुर, दिनांक 05/09/2024

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ को सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सूरजपुर/रामानुजनगर जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रधान पाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गणेशपुर विकासखण्ड सूरजपुर जिला-सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संबंधित श्रीमती दीपमाला पन्ना, शिक्षिका (एल.बी.), शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गणेशपुर विकासखण्ड सूरजपुर जिला-सूरजपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. स्थापना खण्ड-02 प्रभारी कार्यालयीन की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक  
शिक्षा सरगुजा सरगुजा  
अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़

# कार्यालय सभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा

सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़

:: आदेश ::

अम्बिकापुर, दिनांक 05/09/2024

क्रमांक/2616 /निलंबन/शिकायत/सं.संचा/2024 :: कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर के पत्र क्रमांक/6764/निरीक्षण /शिकायत/2024 सूरजपुर, दिनांक 05.09.2024 के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सूरजपुर के द्वारा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गणेशपुर विकासखण्ड सूरजपुर जिला-सूरजपुर के औचक निरीक्षण दिनांक 05.09.2024 को समय दोपहर 01:20 बजे विद्यालय में ताला लगा पाया गया जिसमें श्रीमती पूजा प्रसाद शिक्षिका (एल.बी.) शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गणेशपुर विकासखण्ड सूरजपुर जिला-सूरजपुर के द्वारा बिना किसी सूचना एवं अवकाश स्वीकृति के विद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए है। आपका उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम 3 1 (एक) (दो) (तीन) एवं नियम 07 के विपरीत पाए जाने के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया जाता है।

श्रीमती पूजा प्रसाद शिक्षिका (एल.बी.) शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गणेशपुर विकासखण्ड सूरजपुर जिला-सूरजपुर को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रामानुजनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ नियत किया जाता है।

संयुक्त संचालक

शिक्षा सरगुजा सरगुजा  
अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक/2617 /निलंबन/शिकायत /सं.संचा/2024

अम्बिकापुर, दिनांक 05/09/2024

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ को सादर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी सूरजपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी सूरजपुर/रामानुजनगर जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. प्रधान पाठक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गणेशपुर विकासखण्ड सूरजपुर जिला-सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संबंधित श्रीमती पूजा प्रसाद, शिक्षिका (एल.बी.), शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गणेशपुर विकासखण्ड सूरजपुर जिला-सूरजपुर छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. स्थापना खण्ड-02 प्रभारी कार्यालयीन की ओर सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक

शिक्षा सरगुजा सरगुजा  
अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़